

2018/01193

APP-A
crim-1

FORM NO. III

फर्द अहकाम
(नियम-26)

अज अदालत नियम

बेच-सिंह बनाम अहसिंह

किस्म मुकदमा R.R.A. 75 नं. 41 सन् 2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
5.6.18	<p>अपीलावर ने अपील अन्तर्गत धारा 75 1222 व 1223 के तहत अपीलवाले के विरुद्ध चेरा किया है जो दर्ज सम्पत्ति है।</p> <p>अपीलावर ने अपील पत्र में आदेश अथ से आदेश किया की ग्राम सरवडी में अपीलावर के पिता चौकरी नाम-तरमराय सरवडी पत्र स्वीकृत करते समय अपीलावर का नाम लिखवाये दर्ज कर दिया है जो अहसिंह नाम है। जबकी अपीलावर का सही एवं वास्तविक नाम दत्तात्रेय के अनुसार अहसिंह पुत्र नारायणदीध है। उक्त अपील पत्र के लक्ष्य में अहसिंह सरवडी, थार आई कल्याणपुर, नरहलीमराय पंचपदरा की सुपुत्र सिपेठ अहसिंह की गई। उक्त सिपेठ अनुसार अपीलावर का नाम अहसिंह पुत्र नारायणदीध सही नाम दर्ज करने की सिफारिश की है।</p> <p>अतः अपीलावर के अर्थ अस्तुत दत्तात्रेय व पत्नारी सरवडी, थार आई कल्याणपुर नरहलीमराय पंचपदरा व अहसिंह, सरपंच</p>	<p>अहसिंह</p> <p>अ. नि.</p> <p>अहसिंह</p> <p><i>R. R. A.</i> सरपंच</p> <p>ग्राम पंचायत, सरवडी पं.स. कल्याणपुर (वाड़मेर)</p>

आम पंचायत सरवडी, जेशालीह की
 रिपोर्ट का अवलोकन किया गया कि
 अनुसार अन्ततः रस्तावेज, आधारकार्ड
 पहचान पत्र की रिपोर्ट अनुसार अपीलान्त
 का सपत्न्य रेकर्ड में नाम लिखी जा रही
 पुत्र नारायण पीह दे, जकाब लक्ष्मी
 नाम नारायण पीह है।

पत्नी व पत्नी के सम्बन्ध
 रस्तावेज का अवलोकन अध्ययन किया
 गया। अपीलान्त के पुत्र का
 अन्तः नाम में उल्लिखित लोगो के
 प्रस्ताव की गई। इसमें आधार पर अपीलान्त
 अपीलान्त स्वीकार कर लिखी जा रही
 पुत्र नारायण पीह के स्थान पर
 जेशालीह पुत्र नारायण पीह रफ
 करने में आदेश दिए जाते हैं।

पत्नी के अन्तः नाम का भी
 रस्तावेज है।

निर्णय सपत्न्य सपत्न नारायण दे
 सरवडी में उतारा गया।

(भागेश्वर राम)

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 बालोतरा कैम्प.....